संचिका सं0–08/भू0सु0 को0 (ऑन–लाईन दाखिल–खारिज)–01/2018–...../रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भूमि सुधार कोषांग)

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः– .....

विषयः– ऑन–लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल–खारिज याचिकाओं के ससमय निष्पादन हेतु डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजी में दर्ज विवरणी को अद्यतन करने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के सभी अंचलों को ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल–खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु अधिसूचित किया जा चुका है एवं दाखिल–खारिज हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही निबंधन कार्यालयों को भी अंचल कार्यालयों से सम्बद्ध किया गया है ताकि निबंधन कार्यालयों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों में दर्ज सूचनाओं के आधार पर दस्तावेज निष्पादन की तिथि से तीन दिनों के भीतर अंचलाधिकारी द्वारा Suo Motu दाखिल–खारिज की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

आप अवगत है कि भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं का एक मुख्य कारण राजस्व अभिलेखों का अद्यतन नहीं होना है। ससमय भूमि का दाखिल–खारिज नहीं होने एवं प्लॉटवार स्पष्ट रकबा एवं अन्य विवरणी उपलब्ध नहीं होने के कारण पारिवारिक झगड़ों एवं भूमि खरीदारों के बीच विवाद की सम्भावना काफी बढ़ जाती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि मृत व्यक्तियों के नाम से जमाबंदी पंजी में दर्ज प्रविष्टियों को विधिवत खारिज कर वर्तमान में भूमि को कानूनी रूप से धारित करने वाले के नाम से जमाबंदी कायम की जाय तथा सृजित जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी एवं भू–लगान की प्रविष्टि की जाय। विगत कई माह में विभिन्न जिलों में विभागीय कार्यो की समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ है कि राज्य के सभी जिलों में दाखिल–खारिज से सम्बन्धित याचिकाओं के निष्पादन की स्थिति संतोषजनक नहीं है एवं जिला स्तर पर दाखिल–खारिज से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया के सतत् एवं गहन अनुश्रवण की आवश्यकता है।

दाखिल–खारिज याचिकाओं के निष्पादन की समीक्षा के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ है कि कई मामलों में जमाबंदी पंजी में वांछित सूचना दर्ज नहीं रहने, जमीन बिक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं होने, मृत व्यक्तियों के नाम पर जमाबंदी कायम रहने, खेसरावार रकबा स्पष्ट रूप से अंकित नहीं रहने, हल्का कर्मचारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने एवं अंचल अधिकारी द्वारा लंबित याचिकाओं का नियमित अनुश्रवण नहीं करने के कारण याचिकाओं का निष्पादन निर्धारित अवधि में नहीं हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि जमाबंदी पंजी के क्षतिग्रस्त होने, पंजी का पृष्ठ फट जाने एवं कतिपय अन्य कारणों से जमाबंदी से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जमाबंदी पंजी को पुनः सृजित करने हेतु विभागीय पत्रांक–19(9)/रा0, दिनांक–03.01.2018 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये है जिसके आलोक में क्षतिग्रस्त/अनुपलब्ध जमाबंदी पंजी के सृजन एवं डिजिटाईजेशन की कार्रवाई अपेक्षित है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि एन0 आई0 सी0 के द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार लगभग 85 लाख जमाबंदियों में रकवा से संबंधित प्रविष्टि शुन्य दर्ज है या रिक्त (Blank) है। इसके संबंध में एन0 आई0 सी0 के द्वारा जिलावार, अंचलवार एवं राजस्व ग्राम वार सूची तैयार कर सभी जिलों के जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी है जिसके आधार पर विवरणी को अद्यतन किया जाना आवश्यक है। जमाबंदी पंजी में खेसरावार विवरणी को दर्ज करने हेतु अंचलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है एवं सॉफ्टवेयर में इसके संबंध में प्रावधान किये गये है।

राज्य के सभी अंचलों में ऑन–लाईन माध्यम से लगान के भुगतान की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गयी है। रैयतों द्वारा इस सुविधा का उपयोग किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि सभी जमाबंदियों में लगान से संबंधित अद्यतन वांछित प्रविष्टि दर्ज हो।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जमाबंदी पंजियों में खेसरावार दर्ज विवरणी एवं लगान से संबंधित सूचना को अद्यतन करने की कार्रवाई दिनांक–31.03.2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था परन्तु अभी भी काफी संख्या में जमाबंदी को अद्यतन करने की कार्रवाई लंबित है।

उक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजी में खेसरावार विवरणी एवं लगान से संबंधित अद्यतन विवरणी को अद्यतन करने की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए दिनांक–31.08.2019 तक इस कार्य को निश्चित रूप से पूर्ण करने हेतु अपने अधीनस्थ सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–...../रा0, पटना, दिनांक–.....2019

प्रतिलिपिः–सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जमाबंदी पंजी को अद्यतन करने की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करते हुए दिनांक–31.08.2019 तक इस कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–...../रा0, पटना, दिनांक–.....2019

प्रतिलिपिः–सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जमाबंदी पंजी को अद्यतन करने की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए दिनांक–31.08.2019 तक इस कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–...../रा0, पटना, दिनांक–.....2019

प्रतिलिपिः–सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जमाबंदी पंजी को अद्यतन करने की कार्रवाई दिनांक–31.08.2019 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–339-(8)रा0, पटना, दिनांक–10/6/2019

प्रतिलिपिः–विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव। 10/6